

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां0प्र0क0-39 / 07
संस्था0दि0 06 / 07 / 98
फाईलनं.233504000011998

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. दिनेश पिता श्री गोविन्दराव चंदलेकर, उम्र 50 वर्ष,
 पेशा ठेकेदारी, नि0ग्राम देवगांव, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म0प्र0)
2. किशोरीलाल पिता जगन्नाथ, उम्र 66 वर्ष,
 पेशा कृषि, नि0ग्राम जम्बाड़ा, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-07 / 09 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-409 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 13.11.1997 एवं उसके पूर्व आरक्षी केन्द्र आमला स्थान रतेडाकला से 12 कि0मी0 दूरी पर है, फरियादी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति रतेडाकला की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता और खापा खतेड़ा की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में कार्य करते समय उचित मूल्य की दुकान से विक्रय किये गए सामान किमत 1,15,650/-रुपये से न्यस्त रहते हुए उक्त राशि को स्वयं के लिए दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवशंकर मालवी प्रबंधक ने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित रतेडाकला र0नं0 739 क्रमांक 90 / 97-981 / क्यू-1 दिनांक 19.09.97 के माध्यम से थाना प्रभारी आमला को संस्था में पदस्थ विक्रेता दिनेश कुमार व0 गोविन्दराव चन्देलकर नि0 देवगांव द्वारा सा0वि0 प्रणाली की सामग्री का विक्रय कर राशि 1,15,650.05/-संस्था में जमा नहीं कर गबन करने बाबत एक लिखित आवेदन देकर जांच करने हेतु पेश किया। संस्था में श्री दिनेश कुमार विक्रेता द्वारा पद पर रहते हुए सा0वि0 प्रणाली की सामग्री का विक्रय

करके राशि 1,15,650.05 का गबन किया। जिसका विवरण क्रं. 1 वर्ष 94-95 में राशि 66,157.05/-रूपये अंकेक्षण टीप के आधार पर, क्रं० 2 97-98 में राशि 49,493.00/-रूपये जांच रिपोर्ट के आधार पर, गबनकर्ता कर्मचारी-समिति में पदस्थ दिनांक 25/07/92 से 19/09/97 तक, आवंटित दुकान 1-बोरी, 2-खापा, 3- रतेड़ाकला, गबन का आधार आडिट रिपोर्ट 94-95 में खाधान्न स्टॉक पर्यवेक्षक का जांच प्रतिवेदन में बिक्री कर राशि जमा नहीं कि एवं जांच में माल कम पाया गया। अनिमिता का विवरण दि० 1/4/94 से 31/3/95 तक दुकानों में बिक्री कर राशि क्रं. 66,157.05/-पैसे एवं चार्ज कमी राशि एवं सुपरवाईजर कीरिपोर्ट स्टॉक की कमी राशि 49,493.00/-रूपये कुल राशि रूपये 1,15,650.05/-पैसे समिति में राशि जमा नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक बैतूल के आदेश से थाना आमला के उप निरीक्षक को प्रबंधक संचालक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बैतूल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई जो धारा 409 भा०द०वि० का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

3- प्रार्थी का लिखित आवेदन प्र०पी० 1 है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया गया। दिनांक 19/11/1997 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 02 बनाया, जो चार पांच पृष्ठों में है। दिनांक 12/01/98 को सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 3 बनाया गया। पर्यवेक्षक के द्वारा जांच कर प्रबंधक संचालक जिला सह० केन्द्रीय बैंक बैतूल को लिखा आवेदन पत्र प्र०पी० 4 है। पर्यवेक्षक के द्वारा सेवा सह० समिति रतेड़ाकला विक्रेता दिनेश के विरुद्ध बनाय गया ग्राम खापा एवं बोरी का वर्ष 94/95 जांच पत्रक प्र०पी० 5 है। सहकारी समिति मर्यादित आमला, मुलताई, जिला बैतूल की रसीदे प्र०पी० 07 लगायत प्र०पी० 32 है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र को न्यायालय में पेश किया।

4- प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्तगण परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1- “आपने दिनांक 13.11.1997 एवं उसके पूर्व आरक्षी केन्द्र आमला स्थान रतेड़ाकला से 12 कि०मी० दूरी पर है, फरियादी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति रतेड़ाकला की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता और खापा खतेड़ा की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में कार्य करते समय उचित मूल्य की दुकान से विक्रय किये गए सामान कीमत 1,15,650/-रूपये से न्यस्त रहते हुए उक्त राशि को स्वयं के लिए दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया।

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—
—: विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण

6— धारा-409 भा.द.वि. के अपराध को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है कि उक्त अपराध किसी लोक सेवक द्वारा जिसे उसके लोक सेवक के रूप में कोई संपत्ति न्यस्त की गई हो, उसके संबंध में ऐसे लोक सेवक द्वारा न्यायास भंग किया गया हो।

7— अभियोजन साक्षी शिवशंकर (अ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 29/09/97 को प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति रतेड़ाकला के पद पर पदस्थ था। उनकी सहकारी समिति में 5 दुकानें हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ता सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाता है। उनकी सहकारी समिति की दुकानें रतेड़ाकला, खेड़ी खुर्द, खापा खतेड़ा, छावल देवगांव में हैं। वर्ष 94-95 के विक्रय रजिस्टर में ग्राम खापा एवं बोरी के विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक कम कर घटाया गया, जिससे आडिटर द्वारा आडिट किया गया था जिसमें ग्राम बोरी और खापा की दुकानों में 66,157.05/-रूपये की बिक्री स्टॉक रजिस्टर से घटा दिया गया आडिटर ने आडिट में गबन निकाला। इसी संबंध में आडिटर ने धारा 64 सहकारी समिति अधिनियम के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु लिखा था। वर्ष 97-98 में रतेड़ाकला की सहकारी समिति की दुकान के चार्ज देते समय 49,493/-रूपये का स्टॉक कम चार्ज में दिया जो कि सुपर वाईजर की रिपोर्ट अनुसार पुलिस में प्रकरण दर्ज करने हेतु कहा गया। इस प्रकार कुल 1,15,650.05/-रूपये बिक्री की राशि जमा नहीं की गई जिसका कि उसके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया। जप्ती पत्रक प्र०पी० 2 एवं 3 में आर्टिकल ए लगायत एम 3 तक के दस्तावेज उसके द्वारा जप्त किये गये थे। उसे संचालक मंडल द्वारा रिपोर्ट अधिकृत किया गया। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

8— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि दुकानों का आडिट 19/10/96 को आडिटर के०एल० राठौर द्वारा किया गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा रिपोर्ट दिनांक 13/11/97 को की गई थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वह 29/09/97 को शाखा प्रबंधक सहकारी समिति के पद पर नियुक्त हुआ, तब उसे 19/10/96 की रिपोर्ट मिली, तब उसने रिपोर्ट किया। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पूर्व शाखा प्रबंधक के पद पर किशोरीलाल सोनी पदस्थ थे। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा पहले प्रकरण तैयार कर लिया गया था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि सिर्फ रिपोर्ट होनी थी वह सहकारी समिति में 01/09/95 को नियुक्त हुआ। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। मात्र प्रकरण में प्र०पी० 1 का आवेदन थाना प्रभारी आमला को दिया गया है। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है। साथ ही प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति प्र०पी० 2 एवं प्र०पी० 3 से संबंधित दस्तावेज जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त दस्तावेजों में कितनी राशि का गबन किया गया है, वह स्पष्ट हो सकता था

किन्तु प्रकरण में मूल दस्तावेज संलग्न ही नहीं है।

9— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सभी स्टॉक रजिस्ट्रर शाखा प्रबंधक द्वार प्रथम पृष्ठ पर प्रमाणित होता है जिसमें सभी पृष्ठों की संख्या दर्ज होती है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि आरटीकल ए में किसी भी शाखा प्रबंधक या अन्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरटीकल ए किस दुकान से संबंधित है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि ऐसा स्टॉक रजिस्ट्रर उसकी समिति में नहीं होता है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसने सिर्फ रिपोर्ट पेश की है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण पहले से बना था इसलिए उसने कोई जांच नहीं की। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अलग से कोई जांच नहीं की। आगे यह भी स्वीकार किया है कि संचालक मंडल के कहने पर उसने रिपोर्ट की है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि संचालक मंडल के निर्देश पर उक्त राशि के गबन की रिपोर्ट लिखाई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि आडिटर की रिपोर्ट से संचालक मंडल द्वारा गबन के संबंध में निर्देश दिये जाने पर उसने रिपोर्ट की। चूंकि उसने व्यक्तिगत रूप से कोई जांच नहीं की इसलिए वह नहीं कह सकता कि गबन हुआ या नहीं।

10— जबकि यह गवाह फरियादी है और इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा कोई जांच इस प्रकरण के संबंध में नहीं की मात्र प्र0पी0 1 का आवेदन थाना प्रभारी आमला को दिया गया है। साथ ही आडिटर के0एल0 राठौर के द्वारा जो आडिट किया है। उक्त साक्षी महत्वपूर्ण साक्षी है। अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्ष्य सूची में उक्त साक्षी को अभियोजन साक्ष्य के रूप में नाम अंकित नहीं किया गया है। जबकि उक्त साक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी है उसके द्वारा इस प्रकरण के संबंध में आडिट किया गया है वही साक्षी ही यह स्पष्ट कर सकता था कि अभियुक्तगणों के द्वारा 1,15,650/-रुपये का खाद्यान की बिक्री कर राशि जमा नहीं की और उन्होंने लोक सेवक होते हुये शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुए गबन किया।

11— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि वर्ष 94-95 में बारंगवाडी सोसायटी के अंतर्गत तीन दुकाने बारंगवाडी, जमदेही और कोटिया थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि ग्राम रतेडा के दुकानों की नियुक्त संचालक करता था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में व्यक्त किया है कि सेल्समेन का दायित्व जो उसे शासन से सामाग्री मिले उसकी पंजी रखना और उसे विक्रय करना और विक्रय की राशि शाखा प्रबंधक के पास जमा करना होता है। आगे यह भी व्यक्त किया है कि विक्रय की राशि एकाउन्ट बुक में वही जमा होती थी जो सेल्समेन के द्वारा की जाती थी। सेल्समेन विक्रय की जाने वाली राशि को एक कॉपी अपने पास रखता है तथा एक कॉपी विक्रय राशि के साथ प्रबंधक के पास जमा करता है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिमाह सुपरवाईजर इस समिति को देखता है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि तीन महीने या छः महीने में बीच-बीच में शाखा प्रबंधक समितियों के लेखा का परीक्षण करता है। इस प्रकार इस गवाह के

प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि सेल्समेन के द्वारा जो समिति में खाद्यान बिक्री के लिए आता उसे विक्रय कर राशि प्रबंधक के पास जमा करता है। ऐसी परिस्थिति में सेल्समेन को यह नहीं माना जा सकता है कि उनके द्वारा 1,15,650/-रुपये की राशि का गबन किया।

12- अभियोजन साक्षी भीमराव (अ०सा०-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि को-आपरेटिव सोसायटी आमला के तहत आने वाली रतेडा सोसायटी और बारंगवाडी सोसायटी में आरोपी दिनेश विक्रेता के रूप में और किशोरीलाल प्रबंधक के रूप में पदस्थ था। प्रबंधक आरोपी किशोरीलाल का ट्रांसफर होने पर शिवशंकर मालवीय ने प्रबंधक प्राथमिक कृषि शाखा सेवा सहकारी समिति रतेडाकला का चार्ज लिया था। उसे बैंक की तरफ से वर्ष 94-95 में रतेडाकला की सहकारी दुकानों की जांच हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और वर्ष 94-95 में संबंध में जांच चाही गई थी। उसके द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में सोसायटी की दुकानों की जांच की गई थी। उसके द्वारा सोसायटी की उचित मूल्य दुकान खापा एवं बोरी की जांच की थी। उचित मूल्य खापा दुकान में 35,659.25/-रुपये एवं उचित मूल्य दुकान बोरी में 31,022.55/-रुपये, ऐसा कुल 65,681.80/-रुपये की जांच रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत की गई।

13- आगे इस गवाह ने बताया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता दिनेश कुमार चंदेल द्वारा संस्था के स्टॉक रजिस्ट्रर में फर्जी स्टॉक कम करके यह गबन किया था। उसका प्रतिवेदन प्र०पी० 4 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जांच के समय उसके द्वारा उचित मूल्य खापा एवं बोरी का चार्ट बनाया गया था जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया था, चार्ट प्र०पी० 1 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

14- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि वह आज असल रिकार्ड लेकर नहीं आया है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि निःशुल्क खाद्यान निराश्रित व्यक्तियों का प्रावधान उस समय नहीं था। सन् 90 से यह प्रावधान आया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यानों के तहत बोरी के दो व्यक्तियों एवं खापा के तीन व्यक्तियों को प्रतिमाह 5 किलो चावल या गेहूँ दिया जाता रहा है। उक्त संबंध में कोई जांच नहीं की गई। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि पृष्ठ कं. 16 पर दूसरे कॉलम में लाल स्याही से 12/05/94 तथा नीली स्याही से 11/05/94 लिखा है जो बिक्री दिनांक है जिसकी रसीद कं. 17/03/96 सिरियल नं. 96 संलग्न है।

15- आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने रसीदों पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर थे या नहीं थे यह बाद में फर्जी बनाए गए हैं उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही संबंध में जांच की। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 21/06/94, 30/06/94, 22/07/94, 16/11/04, 26/05/94, 01/07/94, 07/07/94, 16/11/94, 4/02/95, 22/02/95, 26/5/94 की रसीद पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। संस्था प्रबंधक सोनीजी प्राप्तकर्ता है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो

रसीद जमा की गई वह अभियुक्तगणों के द्वारा ही जमा की गई है।

16— साथ ही इस गवाह के द्वारा आडिट के संबंध में कोई मूल दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगणों के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुए शासकीय सम्पत्ति का गबन किया गया। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि विक्रेता द्वारा समिति प्रबंधक को बिक्री की राशि जमा की या नहीं कि इसका आडिट करने के लिए असल रसीद देखना भी आवश्यक थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि असल रसीद नहीं देखने से किसने गड़बड़ी की, इस तथ्य की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार स्वयं इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में बताए गए तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि असल रसीद की इस गवाह के द्वारा कोई जांच नहीं की गई। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं बताया जा सकता कि किस व्यक्ति ने गड़बड़ी की है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुए 1,15,650/-रुपये का गबन किया।

17— अभियोजन साक्षी झुम्मकलाल (अ0सा0-3) एवं अभियोजन साक्षी शेख रफीक (अ0सा0-6) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

18— अभियोजन साक्षी नारायण (अ0सा0-5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह वर्ष 1991 से लेकर वर्तमान तक प्राथमिक कृषि शाखा समिति आमला में विक्रेता के पद पर पदस्थ है। उसकी समिति के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में केरोसिन की सप्लाई की जाती हैं। आरोपी दिनेश कुमार वर्ष 1992 से 1997 के बीच ग्राम रतेडा समिति की दुकान खापा बोरी के लिए केरोसिन तेल उनकी संस्था से ले जाता था। आरोपी दिनेश ने उसकी समिति से वर्ष 1994-95 में कई बार केरोसिन तेल अलग-अलग तारिखों पर ले गया था। जब दिनेश कुमार केरोसिन लेकर जाता था तब वह उसे उक्त केरोसिन की रसीद देता था और वह उक्त रसीद पर हस्ताक्षर करता था। जिससे उसके द्वारा आरोपी दिनेश को केरोसिन प्रदान करने से संबंधित रसीदें प्र0पी0 7 लगायत 18 हैं जिनके ए से ए भागों पर उसके एवं बी से बी भागों पर दिनेश कुमार के हस्ताक्षर हैं। इसके पश्चात् यह रसीदें चेक के साथ बैंक में जमा कर दी जाती थी। पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। स्वतः कहा कि बैंक वालों ने पूछताछ किया था। हमें जो रुपये प्राप्त होते थे वह उनकी संस्था के खाते जमा हो जाते थे और जिस संस्था को केरोसिन दिया जाता था उस संस्था के नाम में हो जाते थे। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

19— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि उस समय सहकारी समिति का अध्यक्ष कौन था वह नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि सहकारी के समिति के जितने पदाधिकारी होते हैं वह निर्वाचित होते हैं और सहकारी समिति के पदाधिकारी के द्वारा ही सेल्समेन की नियुक्ति की जाती है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि सेल्समेन सहकारी समिति के प्रति ही जिम्मेदार रहता है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि समिति के प्रस्ताव के अनुसार सेल्समेन संस्था से सामान ले जाता है और दुकान में विक्रय करने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है।

20— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि एक समिति सेवक के पास 5-6 समितियाँ होती हैं। आगे यह स्वीकार किया है कि समिति सेवक एवं अन्य पदाधिकारी समय-समय पर समिति की जांच करते हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि समय-समय पर समिति के पदाधिकारियों का समिति के सेवक को समझाने का दायित्व होता है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जवाबदारी समिति के पदाधिकारियों की होती है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि जितने भी बिल कटे हैं वह संस्था के नाम से कटे हैं। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि फोटोकॉपी में हस्ताक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि यह हस्ताक्षर किसके हैं। जब यह गवाह रसीद पर किसके हस्ताक्षर वह यह नहीं बता सकता। साथ ही प्र०पी० 7 से लेकर 18 रसीदे हैं उक्त राशि बैंक में जमा नहीं की गई वह भी इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगणों के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये 1,15,650/-रुपये का गबन किया।

21— अभियोजन साक्षी धीरेन्द्र सोनी (अ०सा०-7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण जम्बाडी सहकारी सोसायटी में थे दिनेश सेल्समेन के पद पर पदस्थ था और किशोरी मैनेजर के पद पर पदस्थ था। वह जिस सोसायटी में पदस्थ था वो लीड संस्था था उसके द्वारा आरोपीगण सोसायटी अलग-अलग तारीखों में सामग्री प्रदान की गई थी। रतेड़ा कला बोरीखापा सभी सोसायटीयों उनके लीड संस्था के अंतर्गत आती थी। जहां वह सामग्री सप्लाई करते थे। उसने अलग-अलग दिनांको रतेड़ाकला, खापा सोसायटी को विभिन्न सामग्रियों विक्रय हेतु पहुँचाया था जिसकी रशीदें प्र०पी० 19 लगायत 32 हैं जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्र०पी० 19 की रसीद के मुताबिक किशोरीलाल ने सामग्री प्राप्त किया था। शासन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी दिनेश रतेड़ा कला एवं खापा की उचित मूल्य दुकान में विक्रेता के पद पर पदस्थ था एवं किशोरी उक्त दुकान में प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। यह आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दुकान की सामग्री यही लोग उससे कराते थे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे उक्त प्रकरण के संबंध में कभी कोई पूछताछ नहीं की वह आज पहली बार बयान दे रहा है। प्रकरण में उसके पुलिस कथन लगे हो तो वह उकसा कोई कारण नहीं बता सकता है।

22— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में व्यक्त किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने घटना के बारे में उसे कोई पूछताछ नहीं की। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा शासकीय सम्पत्ति में न्यस्त रहते हुये 1,15,650/-रुपये का गबन किया।

23— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति रतेड़ाकला की उचित मूल्य

की दुकान के विक्रेता और खापा खतेड़ा की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में कार्य करते समय उचित मूल्य की दुकान से विक्रय किये गए सामान कीमत 1,15,650/-रूपये से न्यस्त रहते हुए उक्त राशि को स्वयं के लिए दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

24— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी प्राथमिक सेवा सहकारी समिति रतेडाकला की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता और खापा खतेड़ा की उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में कार्य करते समय उचित मूल्य की दुकान से विक्रय किये गए सामान कीमत 1,15,650/-रूपये से न्यस्त रहते हुए उक्त राशि को स्वयं के लिए दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया। इस प्रकार अभियुक्तगण दिनेश, किशोरी को भा०द०वि० की धारा-409 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25— प्रकरण में अभियुक्तगण का द०प्र०सं० की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के जमानत मूचलके भारमुक्त किए गए।

26— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति प्रापर्टी पर्चा दिनांक 17/06/15 के अनुसार दिनांक 02/10/2007 को तत्कालीन श्रीमान् प्रभारी अधिकारी मालखाना द्वारा मुद्देमाल क्रं० 1 से 13 तक दीमक द्वारा नष्ट किये जाने से सम्पत्ति उनके द्वारा नष्ट की गई। अतः उक्त सम्पत्ति का पृथक से आदेश नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल, म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल, म०प्र०